गर्भपात के बारे में कुछ सत्य

भारत में गर्भपात वैधानिक है परंतु फिर भी हजारो महिलायें हर साल असुरक्षित गर्भपात की वजह से मृत होती हैं

ऐसे देश हैं जहाँपर असुरक्षित गर्भपात की वजह से होनेवाले मृत्यू की संख्या गर्भपात को वैधानिक दर्जा मिलने के बाद कम होती है परंतु भारत में गर्भपात को गत ४० सालों से वैधानिक दर्जा है और फिर भी हर साल असुरक्षित गर्भपातों की वजह से ४६०० के करीब मृत्यू होते हैं। प्रशिक्षित और ज्यादा संख्या में गर्भपात सेवा देनेवाले लोग, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के वैधानिक उपलब्धी के बारे में अधूरा ज्ञान और गर्भपात इस शब्दपर लगा हुआ कलंक इन वजहों से बहुतांश महिलाओंको भोंदू डॉक्टरों के पास जाकर असुरक्षित गर्भपात करवाना पडता है। भारत में होनेवाले ६.४ दशलक्ष गर्भपातों मे ३.६ दशलक्ष (५६ फीसदी) असुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश जैसे भारत के सबसे बडे राज्यों में गिने जानेवाले राज्य में भी सिर्फ ३ फीसदी प्राथमिक आरोग्य केंद्र और १९ फीसदी समुदाय आरोग्य केंद्र सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ प्रदान करते हैं। (बॅनर्जी २०१२)

गर्भपात एक सुलभ और सुरक्षित वैद्यकीय क्रिया है ।

- वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने असुरक्षित गर्भपात का जो अर्थ बताया है उसके अनुसार अगर यह प्रक्रिया किसी आवश्यक ज्ञान या प्रशिक्षण ना होनेवाले व्यक्ति या कम से कम वैद्यकीय श्रेणी ना होनेवाले वातावरण में या इन दोनों प्रकार से पूरी होती है तो उसे असुरक्षित गर्भपात माना जाता है। (डब्ल्यूएचओ २०१३)
- गर्भपात से संबंधित मृत्यू का प्रमाण उन विकसित देशों में कम पाया जाता है जहाँ गर्भपात को वैधानिक अनुमति है और जहाँ आरोग्य सेवाएँ प्रदान करनेवाले लोग प्रशिक्षित हैं। यूएसए में एक साल में गर्भपात करानेवाले एक लाख महिलाओं में लगभग एक स्त्री मृत होती है।

गर्भपात आसनी से उपलब्ध होने पर रोक लगाने से गर्भपात की संख्या कम नहीं होती

पूरी दुनिया में विभिन्न प्रदेशों में अगर तुलना की जाए तो गर्भपात की संख्या लगभग समान ही होगी। गुदमाकर इंस्टिट्यूट ने १९७ देशों के किए हुए सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि गर्भपात आसानी से उपलब्ध होने में रोक लगायी जाए तो अनचाहे गर्भ को नाकारनेवाली स्त्रियाओंकी संख्या कम नहीं होती (सिंग एट अल २००९) । भलेही वैधानिक हो या ना हो अनचाही गर्भावस्था और गर्भपात की घटनाएँ घटती ही रहेंगी। डब्ल्यूएचओ ने स्पष्ट किया है कि दुनिया के गर्भनिरोधकों का उपयोग करनेवाले ३३ दशलक्ष महिलाओं को निरोधकों का उपयोग करने के बावजूद गर्भधारणा होती रहती है।

गर्भपात को वैधानिक अनुमती दी जाने से वह सुरक्षित होगा

- जब महिलाओं को सुरक्षित, वैधानिक और कम खर्चे में गर्भपात आसानी से उपलब्ध होते हैं तब असुरक्षित गर्भपात की वजह से होनेवाली मृत्यू और शारीरिक विकृति कम होती नजर आती है। १९९६ में दक्षिण आफ्रिका में गर्भपात को वैधानिक मान्यता दी जाने से पहले असुरक्षित गर्भपात की वजह से हर साल ४५००० महिलाओं पर सार्वजनिक अस्पतालों में उपचार किये जा रहे थे। उन में से लगभग ४२५ महिलाएँ मृत होती थी (रीज एट अल १९९७) । १९९४ से २००१ के बीच में वहाँ गर्भपात से संबंधित मातामृत्यू का प्रमाण ९१ फीसदी से ४० फीसदी तक नीचे आया (जेक्स ॲण्ड रीज २००५)
- गर्भपात से संबंधित अत्यंत प्रतिबंधात्मक कानून होनेवाले देशों में और मुख्यतः विकसनशील देशों मे असुरक्षित गर्भपात की संख्या बहोत ज्यादा है (सेडग एट अल २००७) । सुरक्षित, वैधानिक गर्भपात सेवा आसानी से उपलब्ध ना होने की वजह से महिलाओं को खुद उपाय चुनने पडते हैं और इससे उनकी सेहत पर भारी असर होता है। ऐसे गर्भपात अप्रशिक्षित वैद्यकीय सेवादाताओं से गंदगीभरे माहौल में किय जाते हैं।

गर्भनिरोधक आसानी से उपलब्ध करने से सुरक्षित, वैधानिक गर्भपात की आवश्यकता कम नहीं होती लेकिन खर्चा कम होता है ।

- वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन के अनुसार दुनिया के गर्भनिरोधकों का उपयोग करनेवाले ३३ दशलक्ष महिलाओं को निरोधकों का उपयोग करने के बावजूद गर्भधारणा होती रहती है। गर्भनिरोधक आसानी से उपलब्ध और उपयोग में लाने के बावजूद कुछ ऐसी महिलायें होती हैं जिनको एक या ज्यादा गर्भपात की आवश्यकता होती है।
- अगले पाँच सालों मे अभी जो गर्भनिरोधकों की कमी हैं वह पूरी की जाए तो भारत में ३५ हजार मातामृत्यू और १२ लाख नवजात अर्भकों के प्राण और ४४५० कोटी रूपयों की बचत की जा सकती है। अगर सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ कुटुंब नियोजन की सेवाओं से जोडी जाए तो उससे ६५०० कोटी रूपयों की बचत की जा सकती है। (कुटुंब कल्याण मंत्रालय, आरएमएनसीएच- ए स्ट्रॅटेजी डॉक्युमेंट २०१३)

प्रेरित गर्भपात एक अत्यंत सुरक्षित वैद्यकीय प्रक्रिया है

- कुशल सेवादाताओं ने अच्छे वैद्यकीय तंत्र और दवाइयों का उपयोग करके और आरोग्यपूर्ण माहौल में गर्भपात किया तो प्रेरित गर्भपात एक अत्यंत सुरक्षित वैद्यकीय प्रक्रिया मानी गयी है (डब्ल्यूएचओ २०१२)।
- वैज्ञानिक अभ्यास से ये स्पष्ट हुआ है कि, ठीक तरह से इस्तेमाल करने के बाद गर्भपात की वैद्यकीय प्रक्रिया (दवाइयों से गर्भपात) गर्भावस्था के शुरूआत के दिनों में सुरक्षित और प्रभावशाली होती हैं। डब्ल्यूएचओने मेडिकल गर्भपात को पहले त्रैमासिक में अत्यंत सुरक्षित पद्धती बताया है (डब्ल्यूएचओ २००३, विनिकॉफ ॲट एल १९९७)
- १२ से १४ वे सप्ताह की गर्भावस्था में शल्यचिकित्सा के माध्यमसे गर्भपात सर्जिकल गर्भपातों के लिए सूचित किया गया है।

एक विशिष्ट परिस्थिति में एक स्त्री की जान बचाने हेतु गर्भपात आत्यंतिक आवश्यक है

- दुनिया में ९४ फीसदी देश एक महिला की जान बचाने हेतु गर्भपात को अनुमति देते हैं (सिंग ॲट अल २००९) अगर किसी स्त्री या लडकी में गर्भावस्था की वजह से शारीरिक या मानसिक आरोग्य का नुकसान हो सकता है तो उससे बचने हेतु गर्भपात आवश्यक होता है। बलात्कार हुई स्त्री पर या बच्चे में पानेवाले शारीरिक असंतुलन हेतु भी गर्भपात किया जाता है।

ज्योति की कहानी

ज्योति (नाम बदल दिया गया है) एक १५ वर्षीय अविवाहित लडकी है और वह महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाखे में रहती है। उसके एक कुटुंब सदस्य ने उसपर बलात्कार किया और वो गर्भवती हुई। अपनी बेटी को शरमिंदगी से बचाने हेतु ज्योति की माँ उसे विविध वैद्यकीय सुविधाओं में, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों मे ले गयी लेकिन किसी ने भी उसपर गर्भपात के उपचार नहीं किए। ज्योति की उम्र १८ सालों से कम है और बलात्कार या शारीरिक शोषण की घटना को पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाना पडता है। बहोत से ऐसे डॉक्टर्स थे जो इस केससे जुडना नहीं चाहते थें। इस परिवारने इस घटना की नोंद पुलिस स्टेशन में करायी लेकिन गर्भपात कराने के लिए वैद्यकीय सेवादाता की तलाश खत्म नहीं हुई। यह घटना पूरे समाज के सामने आने की वजह से उन्हे काफी तकलीफों से गुजरना पडा। ज्योति की माँ को एक डॉक्टर के बारे में पता चला जो उसे मदत करत सकता था. वह उसे उस डॉक्टर के पास ले गयी। उन्होंने इसकी जाँच की और गर्भपात की भी करवाया।

ज्योति और उसका परिवार बलात्कार और पुलिस जाँच का सामना कर रही है। डॉक्टरने उन्हें जो मदद की उसके लिए वो उनके आभारी हैं। गर्भावस्था के सातवें सप्ताह में शुरू हुई ये तलाश आखिरकार १४ वे सप्ताह में जाकर खत्म हुई। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिसने इस डॉक्टरसे पूछताछ तो की ही क्योंकि यह बलात्कार की घटना थी और दूसरे त्रैमासिक के गर्भपात के बारे में वैधानिक सूचना के अनुसार उन्हे दूसरे डॉक्टर की सलाह भी लेनी पडी।

भारत में गर्भपात का ॲक्ट १९७२ में पारित हुआ। उसे अब चार दशकों से भी ज्यादा समय बीत चुका है। लेकिन ज्योति की कहानी से महिला और विशेषतः युवतिओं को वैधानिक अनुमति से मिले हक्क की प्राप्ति करने हेतु भी लडना पडता है, यह दिखाई देता है।